

प्रेषक,

आलोक कुमार,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन
2. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश शासन।
3. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-4

लखनऊ : दिनांक 10 नवम्बर, 2025

विषय:- निर्यात प्रदर्शन-आधारित प्रोत्साहन योजना।

महोदय,

उत्तर प्रदेश से होने वाले निर्यात को संवर्धित करने, प्रदेश के निर्यातकों को निरन्तर निर्यात प्रतिस्पर्धा बनाये रखने, अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों में निर्यात के विस्तार को प्रोत्साहित करने तथा 30प्र0 को वैश्विक व्यापार में एक सक्रिय केन्द्र के रूप में स्थापित करने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार द्वारा शासनादेश संख्या-684/18-4-2025/18-4099/31/2025 दिनांक 03 सितम्बर 2025 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश निर्यात प्रोत्साहन नीति 2025-2030 में उल्लिखित दिशानिर्देशों के क्रम में प्रदेश के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम इकाईयों को प्रोत्साहन राशि उपलब्ध कराये जाने हेतु "निर्यात प्रदर्शन-आधारित प्रोत्साहन" योजनान्तर्गत निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

2. योजनान्तर्गत सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 द्वारा समय-समय पर परिभाषित उत्तर प्रदेश के समस्त सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम श्रेणी की ऐसी निर्यातक इकाईयों को निम्नानुसार आर्थिक सहायता उपलब्ध करायी जाएगी जो कार्य सम्पादन के समय निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो, उत्तर प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश निर्यात संवर्धन परिषद में पंजीकृत होंगी :-

(1) योजना के अन्तर्गत निर्यातक इकाईयों को वर्ष दर वर्ष (YOY) निर्यात वृद्धि (इन्क्रीमेंटल ग्रोथ) पर 1 प्रतिशत का प्रोत्साहन दिया जाएगा, जो प्रति निर्यातक इकाई अधिकतम धनराशि ₹ 20 लाख प्रतिवर्ष वित्तीय सहायता अनुमन्य होगी।

(2) प्रोत्साहन राशि की गणना (इन्क्रीमेंटल ग्रोथ) वर्तमान वित्तीय वर्ष में एफओबी मूल्य और विगत वित्तीय वर्ष में एफओबी मूल्य के बीच के अन्तर के आधार पर की जाएगी।

3. पात्रता:-

- (1) कार्य संपादन के समय निर्यातक इकाई निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो, उत्तर प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश निर्यात संवर्धन परिषद की पंजीकृत सदस्य हो।
- (2) आवेदन हेतु वही निर्यातक इकाई पात्र होगी, जिनके द्वारा विगत 03 वर्षों से निर्यात किया जा रहा हो।
- (3) दावा वर्तमान वित्तीय वर्ष और विगत वित्तीय वर्ष के निर्यात मूल्य के अन्तर पर आधारित होगा। (विगत 03 वर्षों में किसी भी वर्ष में एफओबी मूल्य शून्य न हो)
- (4) योजनान्तर्गत मंचेंट व मैन्युफैक्चरिंग दोनों श्रेणियों के निर्यातक लाभ/सहायता हेतु पात्र होंगे।

4. आवेदन की प्रक्रिया:-

- (1) योजनान्तर्गत निर्यातक इकाई द्वारा निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो के पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन किया जाना होगा।
- (2) निर्यातक इकाई द्वारा किसी वित्तीय वर्ष हेतु योजनान्तर्गत अगले वित्तीय वर्ष के 30 नवम्बर तक दावा ऑनलाइन फाइल किया जाना होगा।
- (3) इकाई द्वारा आवेदन की तिथि से 15 दिवस की अवधि तक आवेदन पत्र में हुई त्रुटियां स्वयं संशोधित की जा सकेंगी।
- (4) उक्त 15 दिवस की अवधि के उपरान्त दावा निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो, 30प्र0 लखनऊ के पोर्टल पर प्रदर्शित होने लगेगा।
- (5) दावे के निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो के पोर्टल पर प्रदर्शित होने की तिथि से अधिकतम 30 दिनों की अवधि में परीक्षणोपरान्त पूर्ण पाये गये दावे एजेंडा में सम्मिलित किये जायेंगे तथा अपूर्ण पाये गये दावों की स्थिति में पोर्टल पर ही अपूर्णता का विवरण ऑनलाइन अंकित करते हुए निर्यातक इकाई को वापस (Revert) कर दिये जायेंगे।
- (6) सम्बन्धित निर्यातक इकाई द्वारा अपूर्ण पाये गये दावों से सम्बन्धित कमियों का निवारण करते हुए अधिकतम 15 दिवसों के अन्दर सुसंगत अभिलेखों को अपलोड करना होगा। निर्यातक इकाईयों के स्तर पर वांछित कार्यवाही उक्त अवधि में पूर्ण न किये जाने की स्थिति में दावा स्वतः निरस्त माना जायेगा।
- (7) सभी आवेदनों का सत्यापन और परीक्षण निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो, 30प्र0 द्वारा किया जायेगा।

5. निर्यातक इकाईयों द्वारा दावों को ऑनलाइन फाइल किये जाने की प्रक्रिया, दावों के परीक्षण करने हेतु निर्यातक इकाई द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाले अभिलेखों का निर्धारण एवं इसमें संशोधन का अधिकार निम्नानुसार गठित प्राधिकृत समिति में निहित होगा:-

1.	निर्यात आयुक्त, निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो, उत्तर प्रदेश	अध्यक्ष
2.	वित्त नियंत्रक, उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय, उत्तर प्रदेश	सदस्य
3.	सम्बन्धित जनपद के उपायुक्त उद्योग	सदस्य

4. अपर/संयुक्त निर्यात आयुक्त, निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो, उत्तर प्रदेश | सदस्य सचिव

6. योजनान्तर्गत निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो को प्राप्त होने वाले समस्त दावे स्वीकृति हेतु उक्तानुसार गठित प्राधिकृत समिति के समक्ष प्रस्तुत किये जायेंगे। योजनान्तर्गत प्राप्त होने वाले दावों की स्वीकृति प्रथम आवत प्रथम पावत के आधार पर की जायेगी तथा बजट उपलब्धता के आधार पर आर्थिक सहायता का अंतरण डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर के माध्यम से सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में किया जायेगा। योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष में प्राप्त होने वाले दावों का भुगतान उपलब्ध बजट की सीमान्तर्गत ही किया जायेगा। अवशेष दावों को अगले वित्तीय वर्ष में अग्रेनीत किये जाने के सम्बन्ध में यथोचित निर्णय लिए जाने के अधिकार प्राधिकृत समिति में निहित होंगे।
7. पात्र निर्यातक इकाईयों को इस योजना हेतु आर्थिक सहायता तभी अनुमन्य होगी यदि निर्यातक इकाईयों द्वारा केन्द्र अथवा राज्य सरकार द्वारा समान उद्देश्य हेतु संचालित किसी अन्य योजना से समान प्रकृति का पूर्ण या आंशिक लाभ न लिया गया हो।
8. यदि किसी स्तर पर यह पाया जाता है कि इकाई द्वारा योजनान्तर्गत अनुमन्य आर्थिक सहायता का दुरुपयोग किया गया है अथवा जानबूझ कर गलत तथ्य/विवरण प्रस्तुत किये गये हैं अथवा छिपाये गये हैं तो इकाई से सम्पूर्ण धनराशि राजस्व देयों की भांति वसूल की जायेगी तथा इकाई को काली सूची में डालते हुए भविष्य में किसी भी प्रकार की शासकीय आर्थिक सहायता हेतु अपात्र घोषित कर दिया जायेगा।
9. शासनादेश में किये गये प्राविधानों की व्याख्या अथवा स्पष्टीकरण के अधिकार योजनान्तर्गत गठित प्राधिकृत समिति में निहित होंगे।
10. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

Digitally signed by भवदीय
ALOK KUMAR
Date: 10-11-2025 (अलोक कुमार)
16:57:24 अपर मुख्य सचिव।

संख्या- 836 (1)/18-4-2025, तद्विनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, 30प्र0 शासन, / निर्यात आयुक्त, निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो 30प्र0।
2. आयुक्त एवं निदेशक उद्योग, उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय 30प्र0 कानपुर।
3. वित्त नियंत्रक, उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय उत्तर प्रदेश।
4. निदेशक, उत्तर प्रदेश निर्यात संवर्धन परिषद, लखनऊ।
5. समस्त परिक्षेत्रीय अपर/संयुक्त निदेशक, उद्योग, उत्तर प्रदेश।
6. समस्त उपायुक्त, जिला उद्योग प्रोत्साहन एवं उद्यमिता विकास केन्द्र, उत्तर प्रदेश।

7. संयुक्त/अपर निर्यात आयुक्त, निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो 30प्र0।

8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(सुनील कुमार पाण्डेय)
विशेष सचिव।

निर्यात प्रदर्शन-आधारित प्रोत्साहन योजना

(शासनादेश संख्या- 836/18-4-2025, दिनांक 10 नवम्बर 2025)

आवेदन पत्र

क्र०सं० S.N.	बिन्दु Particulars	विवरण Details
1	निर्यातक इकाई का नाम Name of the Exporting Unit	
2	पंजीकृत कार्यालय पता Registered Office Address	
3	आयातक-निर्यातक कोड Importer-Exporter Code	
4	आईईसी प्राप्त करने की तिथि / वैधता Date of Obtaining IEC / Validity	
5	उत्तर प्रदेश से मूल प्रमाण पत्र Certificate of Origin from Uttar Pradesh	<input type="checkbox"/> Yes (Attach Copy) <input type="checkbox"/> No
6	निर्यातक का प्रकार Type of Exporter	<input type="checkbox"/> Manufacturer <input type="checkbox"/> Merchant <input type="checkbox"/> Both
7	उद्यम पंजीकरण संख्या UDYAM Registration Number	
8	उत्तर प्रदेश निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो में पंजीकरण संख्या Registration Number in U.P. Export Promotion Bureau	
9	उत्तर प्रदेश निर्यात संवर्धन परिषद में पंजीकरण संख्या Registration Number in U.P. Export Promotion Council	
10	अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम Name of Authorized Signatory	
11	पदनाम Designation	
12	संपर्क विवरण (फ़ोन / ईमेल आईडी) Contact Details (Phone / Email ID)	

निर्यात कारोबार का विवरण (Export Turnover Details)

क्रमांक S. No.	विवरण Particulars	मात्रा Quantity	मूल्य Value (INR)
1.	निर्यातित उत्पादों के नाम Name of Products Exported		
2.	आवेदित वर्ष के विगत वर्ष का फ्री ऑन बोर्ड (एफओबी) मूल्य (वर्ष:) Free on Board (FOB) Value of Previous Year of the applied year (Year:)		
3.	आवेदित वर्ष (वर्ष:) के लिए फ्री ऑन बोर्ड (एफओबी) मूल्य Free on Board (FOB) Value of Year Applied (Year:)		

शपथ पत्र का प्रारूप (रु0 10 के स्टाम्प पेपर पर)

मैं.....पुत्र/पुत्री/पत्नी.....
प्रोपाइटर/पार्टनर/निदेशक.मे0..... पता.....
.....उद्यम रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र सं0.....आई.ई.
सी. कोड.....ई0पी0बी0 पंजीयन संख्या.....दिनांक.....
.....सत्यापित करता हूँ/करती हूँ:-

1. निर्यातक इकाई द्वारा यह दावा संबंधित योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष.....में.....बार प्रस्तुत किया गया है। प्रश्नगत दावा वित्तीय वर्ष..... केत्रैमास हेतु प्रस्तुत किया जा रहा है।
2. यह कि उक्त वर्णित इकाई सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम एक्ट-2006 तथा जारी अधिसूचना दिनांक 21 मार्च 2025 में वर्णित सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम की परिभाषा के अन्तर्गत एक.....श्रेणी की इकाई है।
3. यह कि निर्यातक इकाई (मर्चेन्ट/मैन्युफैक्चरिंग)..... श्रेणी के अंतर्गत हैं।
4. यह कि निर्यातक फर्म द्वारा अनुदान हेतु किये गये दावे के सापेक्ष प्रदेश अथवा भारत सरकार की किसी भी योजना से वित्तीय अनुदान/लाभ प्राप्त नहीं किया गया है।
5. यह कि उपरोक्त समस्त सूचनाएँ जो मेरे द्वारा उपलब्ध करायी जा रही हैं पूर्णतः सत्य हैं तथा किसी भी प्रकार के तथ्यों को छुपाया नहीं गया है। यदि भविष्य में यह पाया जाता है मेरे द्वारा गलत तथ्य प्रस्तुत किये गये हों तो मेरे विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जा सकती है।

(हस्ताक्षर)

नाम-

पदनाम-प्रोपाइटर/पार्टनर/डायरेक्टर-

पता-

मोबाईल नंबर-

चार्टर्ड अकाउंटेंट का प्रमाणपत्र (आधिकारिक लेटरहेड पर)

(निर्यात प्रदर्शन-आधारित प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत प्रोत्साहन राशि का दावा करने के लिए)

प्रमाणित किया जाता है कि मेसर्सपंजीकृत कार्यालय जो कि उत्तर प्रदेश राज्य से वस्तुओं/सेवाओं के निर्यात में संलग्न है, के निर्यात और फ्री ऑन बोर्ड (एफओबी) मूल्य का विवरण निम्नवत है —

Summary of Export Turnover		
Name of the Products Exported		
Details of The FOB Value	Financial Year	FOB Value (INR)
FOB Value of The Previous Financial Year of The Year Being claimed		
FOB Value of Financial Year Being claimed		
Incremental Growth in FOB Value		

Incentive Computation under the Scheme	
Description	Amount (INR)
1% of Incremental FOB Value	
Eligible Incentive (Max Rs. 20,00,000 /Unit / FY)	

उपरोक्त विवरणों की पुष्टि हो चुकी है और हमारे समक्ष प्रस्तुत अभिलेखों और दस्तावेजों के आधार पर, हमारे ज्ञान और विश्वास के अनुसार वे सत्य और सही हैं। यह प्रमाणपत्र उत्तर प्रदेश निर्यात नीति की निर्यात प्रदर्शन-आधारित पुरस्कार योजना के तहत प्रोत्साहन राशि का दावा करने के विशिष्ट उद्देश्य से जारी किया गया है और इसका उपयोग किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जाना चाहिए।

दिनांक:

हस्ताक्षर एवं मुहर
चार्टर्ड अकाउंटेंट का नाम
सदस्यता संख्या
स्थान